



# बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

“खाद्य भवन” दरोगा राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२ पटना ८००००१

## आदेश

बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग संकल्प सं०-प्र०१०/विविध-३१/१५-१२०१ दिनांक-१८.०२.२०१६ द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि० को वर्ष २०१५-१६ के लिए धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त करते हुए रु० २,०००.०० करोड़ रुपये का ऋण बैंकों से प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की गई थी। गारंटी इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि यह गारंटी ३०.०३.२०१७ तक ही प्रभावी होगा।


विदित हो कि केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना अंतर्गत १ अप्रैल २०१६ से ३० जून २०१६ तक के लिए उनके SANCTION NO.6/BIHAR/2017-18 दिनांक-१० अप्रैल २०१७ तक के लिए कुल रु०१३८१.०२ करोड़ की राशि चावल बांटने के मद में ओपबधिक अनुदान भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा दिये गये उपर्युक्त गारंटी के अनुपालन में बैंक ऑफ इंडिया, बी०सी०पी० मार्ग शाखा के खाता सं०-४४१०३०११०००००१६ में प्राप्त कुल रु०१३८१.०२ करोड़ की राशि को निम्नवत् वापस करने की स्वीकृति दी जाती है, जो इस प्रकार है-

| क्र०    | बैंक का नाम            | खाता संख्या     | राशि (रु० करोड़ में) |
|---------|------------------------|-----------------|----------------------|
| १.      | केनरा बैंक             | ०३५२२६१०००६३५   | ५००.००               |
| २.      | इंडियन बैंक            | ६४२२३९२१४३      | ४४९.००               |
| ३.      | ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | ९३४४०१५००१८३३   | ९२.००                |
| ४.      | आन्ध्रा बैंक           | ०४१८१३१०००००३०८ | २०३.००               |
| ५.      | बैंक ऑफ इंडिया         | ४४१०३०११०००००३४ | ६०.००                |
| ६.      | बैंक ऑफ बड़ौदा         | १८६३०४०००००४५३  | ४७.००                |
| ७.      | कॉरपोरेशन बैंक         | ३२३००४०११६०००१  | ३०.००                |
| कुल योग |                        |                 | १३८१.००              |

इस प्रकार सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष २०१५-१६ के लिए प्रदत्त रु० २,०००.०० करोड़ की गारंटीयुक्त ऋण के लिए कुल १३८१.०० करोड़ रुपये की वापसी की जाती है।

ज्ञापांक- ३७३३ दिनांक- २२/०५/१७  
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना/सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-  
प्रबंध निदेशक ।

  
प्रबंध निदेशक